इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 जून 2019—ज्येष्ठ 21, शक 1941

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2019

क्र. एफ-14-17-2007-बयालीस-1.—मध्यप्रदेश निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, फीस विनियामक समिति का गठन, कार्यकरण, निबंधन तथा शर्तें विनियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त विनियम में,—

1. विनियम 4 में,—

(1) उप-विनियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष (चेयरमेन), राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति को अनुज्ञेय वेतन, मंहगाई भत्ता तथा ऐसे अन्य भत्तों का हकदार होगा, और सेवानिवृत्त व्यक्ति उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से पेंशन घटाकर प्राप्त करने का हकदार होगा. इसी प्रकार अपील प्राधिकारी भी पेंशन घटाकर आहरित अंतिम वेतन पाने का हकदार होगा.

(2) विनियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम स्थापित किया जाये:—

(8) समिति, फीस निर्धारण की प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया/निरीक्षण फीस तथा संस्थाओं के निरीक्षण पर उपगत हुए व्यय वसूलेगी. अतिशेष राशि को कार्पस फंड में एकत्र किया जाएगा तथा उस पर प्राप्त होने वाले ब्याज का उपयोग उप-विनियम (7) के अधीन सम्मिलित व्ययों के अतिरिक्त समिति के अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

Reg. No. F 14-17-2007-XLII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007, (No. 21 of 2007), the State Government, hereby, makes the following amendments, in the Constitution, working, terms and conditions of the Admission and Fee Regulatory Committee Regulation, 2008, namely:—

AMENDMENTS

In the said Regulation,—

1. In regulation 4,—

(1) in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) Chairman shall be entitled for the salary, Dearness Allowances and such other allowances admissible to the Vice-Chancellor of the State University and the retired persons shall be entitled for last salary drawn minus pension. Similarly, Appellate Authority shall be entitled for last pay drawn minus pension.";

(2) for sub regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(8) Committee shall charge processing/inspection fee for processing the fee fixation application and for the expenses incurred on inspection of the institutions. The surplus on this account shall be credited in a Corpus Fund and interest earned on the same may be utilized for meeting other expenses of the Committee in addition to those expenses included under sub-regulation (7) of regulation 4.".

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.